[23/3/2022]

प्रश्न सं. [क्र. 2719]

<u>*परिशिष्ट "अ"*</u>

विभाग में अनुमोदित पशु औषधि केओलिन 200 ग्राम,मेग्नीशियम कार्बोनेट 50 ग्राम, सोडियम बाईकोर्बोनेट 50 ग्राम प्रति 1000 एम.एल. में टंकण त्रुटिवश औषधि लेबल पर प्रति 100 एम.एल.टंकित हुआ । उक्त की जानकारी मिलने पर खाद्य एवं औषधि प्रशासन के पत्रकमांक V/Misc/Sep-146/21/ भोपाल,दिनांक 13.10.2021 द्वारा प्राप्तमार्गदर्शन के आधार पर त्रुटिपूर्ण टंकित लेबल वाली औषधि का सम्पूर्ण बैच निर्माता फर्म को वापस कर नवीन सहीटंकित लेबल वाली औषधि प्राप्त करनें हेतु निर्देशित किया गया है।

एंटीबायोटिक में किसी भी तरह का गलत कटेंट मिलाए जाने संबंधी जानकारी विभाग को नहीं है।

क्लोसेंटल कृमिनाशक में एक्स्ट्रनल यूज टंकित किए जाने की जानकारी प्राप्त होने पर आदेश कमांक 8760– 8761/औषधि शाखा/2021–22/भोपाल, दिनांक 27.09.2021 के माध्यम से उक्त औषधि की दर तत्काल निरस्त कर दी गई।

संचालक
पशुपालन एवं डेयरी विभाग
मध्यप्रदेश